न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 60 /2018

रामचरन पुत्र केशरिया जाति मीना निवासी ककरऊआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर हाल निवासी गिर्राज कालौनी, रेलवे स्टेशन, भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. जलवाई पत्नी जगराम जाति मीना निवासी जगजीवनपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. सन्तो पत्नी बाबूलाल जाति मीना निवासी हलदेना तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पो0

4. रामस्वरूप पुत्र केसरिया जाति मीना निवासी ककरऊआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.12.2017 तहसीलदार रूपवास बाबत नामान्तरकरण संख्या 600 वाकै ग्राम ककरौआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थित :–

1–श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार रैस्पो0 संख्या 3

निर्णय

दिनांक 02.09.2021

अपीलान्टान ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्टान व खिलाफ आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 26.12.2017 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

संख्या 600 ग्राम ककरौआ तहसील रूपवास रैस्पो0 के हक में स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 600 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई है। रैस्पो0 संख्या 1 का नोटिस उनके लडके ओमपकाश पुत्र जगराम आयु 27 ने प्राप्त किया है एवं रैस्पो0 संख्या 2 सन्तो एवं उनके पाति ने नोटिस लेने से इन्कार किया है। दो गबाहों के हस्ताक्षर नोटिस के पीछे है। रैस्पो0 संख्या 1 व 2 बाबजूद सूचना के अनुपस्थित अतः बकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 26.12.2017 न्यायालय तहसीलदार रूपवास विधि विरूद्ध होने से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने से काबिल खारिजी के है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी जाहिर किया कि खसरा नम्बर 561 6 वीघा 9 विस्वा वाकै ग्राम ककरौआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है, जिसका खातेदार केसरिया (अपीलान्ट का पिता) था, जिसके स्वर्गवास हो जाने के बाद रैस्पो0 संख्या 3 ने नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 26.12.2017 को अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा तरतीवी रैस्पो0 संख्या 4 के हक में स्वीकृत किया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि रैस्पो0 संख्या 1 व 2 तथा 4 मीना जाति से है जो अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते है, जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। रैस्पो0 संख्या 1 व 2 मीना जाति की एवं विवाहित है। मीना जाति में विवाहित पुत्रियों को कोई अधिकार पैत्रिक सम्पत्ति में नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विवादित आराजी के कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है एवं सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण खिलाफ कानून व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अवैध है एवं गैरकानूनी है जो कि शुरू से ही शून्य है और ऐसे शून्य व अवैध आदेश (नामान्तरकरण) की अपील करने की कोई समय सीमा भी नहीं होती है, इनकी बैद्यता को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। फिर भी देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की प्रति प्रस्तुत की। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा मृतक केशरिया की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 600 खोला गया है। तहत अदालत ने ग्राम पंचायत के सजरा एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर खोला गया है। विरासत का नामान्तरकरण जांच का बिन्दु है अतः प्रकरण को जांच हेतु तहसीलदार रूपवास को भेजा जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया।योग्य अभिभाषक अपीलान्टान के द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 26.12.2017 का अवलोकन किया गया। यह नामान्तरकरण मृतक केशरिया पुत्र नन्दा कौम मीना की विरासत का खोला गया है। मृतक केशरिया की विरासत में उसकी पुत्रियों का नाम भी अंकित किया गया है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में मृतक केशरिया की कौम मीना अंकित होने से मृतक की जाति "मीना" होना स्पष्ट है जो अनुसूचित जनजाति में शामिल है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) इस प्रकार है:—

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

"अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थो के अन्दर वाली किसी अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों को तक लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न करे।"

मृतक केशरिया जाति से मीना (अनुसूचित जनजाति) है। अनुसूचित जनजाति में कृषि विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार नियम तभी लागू होगें जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी कर विर्निदिष्ट किया जावे और यह निर्विवादित है कि मीना जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू किये जाने के संबंध में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं गई है। कृषक की मृत्यु होने पर उसकी विरासत मे उसके पुत्र और उसकी विधवा को अधिकार प्राप्त हो जाते है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 26.12.2017 नियम के विपरीत होने से खारिज योग्य रहता है। प्रकरण पुनः निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार रूपवास को रिमान्ड किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 600 दिनांक 26.12.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रचलित नियमों के तहत पुनः आदेश पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)